

न्यायालय :- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)

श्रृंखला न्यायालय बैहर

(पीठासीन अधिकारी- माखनलाल झोड़)

R.C.A. 27/2016

Filling No- RCA/206/2017

C.N.R./MP-5005-001840-2017

संस्थित दिनांक - 13.05.2016

- 1- अगनू पिता सम्पतसिंह उम्र 57 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी ग्राम केवलारी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट
- 2- सुधोबाई पति सम्पतसिंह, उम्र 55 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी ग्राम नयाटोला, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट

- - - **अपीलार्थीगण**

// विरुद्ध //

- 1- घंसू पिता अकलू उम्र 70 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी ग्राम केवलारी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट
- 2- महिपाल पिता अकलू उम्र 60 वर्ष जाति गोंड,
निवासी ग्राम केवलारी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट
- 3- म.प्र. राज्य तर्फे कलेक्टर बालाघाट, तह0 व जिला बालाघाट

- - **उत्तरवादीगण**

{न्यायालय: व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर तत्कालीन
पीठासीन अधिकारी श्री सिराज अली द्वारा व्य.वाद क.
18ए/2014, अगनू+1 बनाम घंसू+2 वगैरह में पारित निर्णय
दिनांक 27.08.2015 से क्षुब्ध होकर धारा 96 व्य.प्र.सं. के
तहत यह अपील पेश की है}

श्री विजय गुप्ता अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।
उत्तरवादीगण पूर्व से अनुपस्थित।

- // // निर्णय // // -

(आज दिनांक **06 नवम्बर, 2017** को घोषित)

1. अपीलार्थी/वादी ने यह नियमित व्यवहार अपील न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री सिराज अली बैहर द्वारा व्य.वाद क. 18ए/2014, अगनू+1 बनाम घंसू+2 वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.08.2015 वादीगण का दावा निरस्त किये जाने से परिवेदित होकर पेश की है।

2. पक्षकारों के मध्य स्वीकृत तथ्य यह है कि वादी क्रमांक 1 केवलारी तहसील बैहर तथा वादीक्रमांक 2 ग्राम नयाटोला तहसील बिरसा की निवासी होकर सगे भाई-बहन हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ग्राम केवलारी तहसील बैहर जिला बालाघाट के निवासी हैं। प्रतिवादी क्रमांक 3 म0प्र0 शासन

है। वादभूमि कृषि प्रयोजन की भूमि होने से प्रतिवादी क्रमांक 3 को पक्षकार बनाया है। वादीगण के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं है। वादीगण संपतसिंह के पुत्र-पुत्रियां हैं। वादीगण की मां बिराजोबाई का विवाह ग्राम केवलारी में अकलू के साथ हुआ था, अकलू के संसर्ग से दो पुत्र और एक पुत्री घंसू, महिपाल जो प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 का जन्म हुआ तथा पुत्री बजरोबाई का जन्म हुआ था। प्रतिवादीगण जब छोटे थे तब उनके पिता अगनू की मृत्यु हो गई। बिराजोबाई जो प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की मां थी ने संपतसिंह जो वादीगण के पिता हैं से दूसरा विवाह कर लिया।

3. वादीगण के वाद का सार यह है कि वादी क्रमांक 1 अगनू, वादी क्रमांक 2 सुधोबाई, संपतसिंह और बिराजोबाई की संतान है। संपतसिंह की मृत्यु होने पर बिराजोबाई से अकलू ने दूसरी शादी की। अकलू व बिराजोबाई के दो पुत्र एक पुत्री घंसू, महिपाल और बजरोबाई हुए। प्रतिवादीगण छोटे थे तब अकलू की मृत्यु हो गई।

4. अकलू की कोई अचल संपत्ति न होने से बिराजोबाई ने अकलू की संतान प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 तथा उनकी बहन को संपतसिंह के घर ले आयी, और वे साथ रहने लगे, उनका विवाह वादीगण के पिता ने कर दिया। अकलू की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण संपतसिंह की भूमि पर कास्त करते रहे।

5. मौजा केवलारी प0ह0नं0-10 रकबा 22.92 एकड़ जमा और 4.00 रुपये मूल पुरुष संपतसिंह पिता फकीर की भूमि थी। इस भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का कोई हक नहीं है, केवल वादीगण का हक है। वादी क्रमांक 2 का विवाह होने पर वह ससुराल में निवास करने लगी, प्रतिवादीगण मां के साथ रहते थे इसलिए वादी क्रमांक 1 कमाने-खाने बाहर जाता था, उनकी अनुपस्थिति में वादीगण ने चोरी-छुपे प्रतिवादीगण 1 व 2 का नाम दर्ज करा लिया जबकि वे संपतसिंह उत्तराधिकारी नहीं है। वादीगण भी चोरी-छुपे प्रतिवादी क्रमांक 1 ने 7.91 एकड़ भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 7.00 एकड़ भूमि पर अभिलेख दुरुस्त कराकर अलग-अलग कब्जा कर लिया है जो बिना अधिकारिता के दोषपूर्व वादीक्रमांक 2 व प्रतिवादी क्रमांक 1 के बीच विवाद हुआ तब प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के परिवार वालों को धमकी दी थी कि जैसे तेरे पिता की जमीन प्राप्त की थी यदि मिलकर नहीं रहा तो वादी के पूरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे और जमीन हड़प कर लेंगे, धमकी दी है।

6. वर्तमान में खसरा क्रमांक 62/1 रकबा 7.91 एकड़ प्रतिवादी क्रमांक 1 घंसू के नाम दर्ज है। खसरा क्रमांक 62/5 रकबा 7 एकड़ प्रतिवादी क्रमांक 2 महिपाल का नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 62/6 रकबा 2.95 एकड़ वादी क्रमांक 1 अगनू के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण को वाद संपत्ति पर वारसान हक नहीं है, घोषणा हेतु मूल्यांकन 1000/- रुपये कर 500/- और

न्यायशुल्क चस्पा है। संशोधन पंजी क्रमांक 12/8 दिनांक 28.08.1996 को प्रभावशून्य घोषित करने के लिए मूल्यांकन 1000/- रुपये अदा कर न्यायालय शुल्क 100/- रुपये चस्पा है। कब्जा प्राप्त करने हेतु लगान 20 गुना अर्थात् 51/- रुपये कर 10/- और कुल 610/- रुपये न्यायालय शुल्क चस्पा है। वाद परिसीमा में है, खसरा नम्बर 62/1 एवं 62/5 रकबा 14.91 एकड़ पर वादीगण को भूमिस्वामी घोषित किया जाकर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के नाम विलोपित किये जाने की घोषणा चाही है। ससर्ग पंजी क्रमांक 12/8 दिनांक 28.08.1996 विधि विरुद्ध प्रभावशून्य होने की घोषणा चाही है तथा उक्त 14.91 एकड़ पर कब्जा दिलाये जाने की याचना की है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 से वादव्यय दिलाये जाने की याचना की है।

7. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने संयुक्त वादोत्तर पेश कर स्वीकृत तथ्य को छोड़कर वादपत्र के संपूर्ण तथ्यात्मक और आक्षेपयुक्त अभिवचनों को अस्वीकार किया है तथा विशिष्ट कथन करते हुए लेख किया है कि उभयपक्ष का मूल पुरुष फकीर था। फकीर के पुत्र अकलू और सम्पत थे। अकलू और बिराजोबाई की संतानें घंसू, महिपाल और बजरोबाई हैं तथा सम्पतसिंह और बिराजोबाई की संतान अगनू और सूधोबाई है। वादग्रस्त संपत्ति उभयपक्षों के मूल पुरुष फकीर की है। वादीगण व प्रतिवादीगण का 1/2-1/2 हिस्सा है उसमें आधार पारिवारिक बंटवारा होकर कब्जेदार है।

8. पारिवारिक बंटवारे के बाद वादी क्रमांक 1 ने गांव के ही इन्दलसिंह को उसे प्राप्त भूमि में से 1.50 एकड़ भूमि तथा छुट्टिनबाई को 5 एकड़ भूमि बिक्रय कर दी है उसके पास अवशेष 2.95 एकड़ भूमि है वादीगण ने वदनियती से प्रतिवादीगण की भूमि हड़पने के लिए यह झूठा दावा पेश किया है। प्रतिवादीगण के पिता अकलूसिंह की मृत्यु हो जाने पर अकलूसिंह के छोटे भाई सम्पतसिंह ने जाति रीतिरिवाज के अनुसार चूड़ी पहनाकर उसे पत्नि बना लिया था जिसके संसर्ग से वादीगण पैदा हुए थे। प्रतिवादीगण को वादीगण के 5000/-5000/- रुपये क्षतिपूर्ति दिलाई जावे। सव्यय वाद निरस्त किये जाने की याचना की है।

9. प्रस्तुत अपील का सार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद निरस्त कर त्रुटि की है, अभिलेख पर पेश दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्य की उचित मीमांसा न कर वाद निरस्त किये जाने से निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। प्रदर्श पी-10 के बंटवारे की सहमति पेश की विश्वास कर त्रुटि की है उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। मूल पुरुष दादा फकीर की मृत्यु के बाद संपूर्ण भूमि वादीगण के पिता सम्पतसिंह के नाम दर्ज हुई थी की ओर ध्यान न देकर त्रुटि की है। वादोत्तर में वादसंपत्ति मूल पुरुष फकीर की होने के संबंध में कोई अभिवचन नहीं है। वादप्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 को

प्रमाणित न मानकर त्रुटि की है। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.08.2015 को निरस्त किये जाने की याचना की है।

10. अपील के निराकरण हेतु अधोलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं :-

अ— क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने व्यवहार वाद क. 18ए/2014 अगनू+1 बनाम घंसू+2 में पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 27.08.2015 में तथ्य विषयक त्रुटि होने, विधि की त्रुटि होने एवं साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि होने से हस्तक्षेप योग्य है ?

ब— क्या अपीलार्थीगण द्वारा पेश आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का आवेदन दिनांक 09.10.2017 द्वारा प्रस्तावित अभिवचन वादपत्र में समाहित किये जाने पर प्रश्नाधीन निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 27.08.2015 में परिवर्तन आ सकता है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:-

11. अगनू (वा.सा.1), लिखनसिंह (वा.सा.2), धीरजलाल (वा.सा.3) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत अपने-अपने मुख्य कथन दिनांक 27.09.2014 को तैयार कराकर अभिलेख पर पेश किये हैं। वादी और उसके दोनों साक्षीगण के मुख्य कथन के पश्चात् आमिर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंपनी विरुद्ध शापुरजी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड ए.आई.आर. 2004 सु. को. 355 में प्रतिपादित सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। अतः मुख्य कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य है।

12. अगनू (वा.सा.1) ने न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र पर लेख कराये कथन दिनांक 22.11.2014 के पद क्रमांक 10 में साक्ष्य दी है कि उसने दावे के समर्थन में पांचसाला खसरा प्रदर्श पी-1, किस्तबंदी प्रदर्श पी-2, पांचसाला खसरा प्रदर्श पी-3, किस्तबंदी खतौनी प्रदर्श पी-4, खसरा पांचसाला प्रदर्श पी-5, किस्तबंदी खतौनी प्रदर्श पी-6, नक्शा प्रदर्श पी-7, संशोधन पंजी प्रदर्श पी-8, अधिकार अभिलेख पंजी नक्शा प्रदर्श पी-9 पेश किये हैं जो सभी प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं।

13. वादी साक्षी क्रमांक 1 अगनू ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 11 में स्वीकार किया है कि विवादित जमीन खसरा नम्बर 62 रकबा 22.92 एकड़ भूमि पहले फकीर के नाम से थी। यह भी स्वीकार किया है कि अकलू से ही फकीर के मरने के पहले ही फौत हो गये थे तथा फकीर की मृत्यु बाद में हुई थी। यह भी स्वीकार किया है कि फकीर बाद में फौत हुआ इसलिए उसकी जमीन सम्पतसिंह के नाम से दर्ज हो गई। यह भी स्वीकार किया है कि साक्षी की मां बिराजोबाई का विवाह पहले अकलू से हुआ था तथा अकलू के फौत

होने पर बिराजोबाई का जाति-रीतिरिवाज के अनुसार चूड़ी पहनाकर साक्षी के पिता सम्पतसिंह ने उसे अपनी पत्नी बना लिया था।

14. इसी साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 12 के अंत में स्वीकार किया है कि वाद कथित भूमि को वे तीनों कास्त करते हैं। इसी साक्षी ने पद क्रमांक 13 में स्वीकार किया है कि उसने वाद कथित भूमि में से दिनांक 18.01.1994 को अशोक कुमार को 1.00 एकड़ भूमि, दिनांक 25.04.1995 को 25 डिसमिल भूमि दिनांक 01.12.1995 को 51 डिसमिल भूमि, दिनांक 23.04.1997 को 1.45 एकड़ (3.46 एकड़) भूमि विक्रय की है। इसी तरह देवकाबाई पति लोकसिंह को दिनांक 22.03.2003 को 47 डिसमिल, सुमित्राबाई पति इंद्रराज को दिनांक 23.04.1997 को 47 डिसमिल, इंदरसिंह पिता घंसू को 1.16 एकड़ भूमि कुल (5.56 एकड़) भूमि साक्षी ने अपने हिस्से में से विक्रय की है। इसी साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 14 में स्वीकार किया है कि उसके हिस्से की भूमि का पट्टा उसके पास सन् 1996 से है।

15. इसी साक्षी ने पद क्रमांक 15 में स्वीकार किया है कि जब से उसने बड़ा होकर होश संभाला है तब से वह प्रतिवादीगण को अपने साथ रहते हुए देखा है। सन् 1996 से साक्षी को जमीन का पट्टा अलग प्राप्त हुआ तब से वह अपने हिस्से की जमीन का लगता स्वयं अदा गांव के पटेल के पास करता था।

16. लिखनसिंह (वा.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 7 में कथन किया है कि आज से पहले इस मामले के संबंध में उसने बयान नहीं दिया है। उसने बकील साहब के पास आकर इसके पहले बयान नहीं लिखाया है। घंसू, महिपाल, बजरोबाई अकलू की संताने होना लिखा हो तो गलत है। उसे जानकारी नहीं की फकीर की मौत कब हुई। पद क्रमांक 8 में स्वीकार किया है कि अगनू की मां का नाम बिराजोबाई थी और घंसू और महिपाल की नाम बराजोबाई थी किंतु यह इंकार किया है कि दोनों महिलाएं एक हैं। पद क्रमांक 8 में यह स्वीकार किया है कि जब से वह जानता है तब से वाद भूमि पर वादी और प्रतिवादी गण कास्त करते हैं। अगनू द्वारा विक्रय की गई भूमियों की उसे जानकारी नहीं है। उभयपक्ष ने बंटवारा कर अपना-अपना नाम दर्ज कराया इसकी उसे जानकारी नहीं है।

17. धीरजलाल(वा.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 7 में यह स्वीकार किया है कि अकलू और सम्पत दोनों भाई से उनके पिता का नाम फकीर था। वादी और प्रतिवादीगण के पास वर्तमान में जो भूमियां हैं उनकी खानदानी हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के पास जो भूमि है साक्षी जब से जानता है तब से वे कास्त कर रहे हैं। बाद में उन्होंने बंटवारा कर लिया है। पद क्रमांक 8 में यह स्वीकार किया है कि अगनू ने अपने हिस्से में प्राप्त भूमि में से

अशोक कुमार, देवनबाई, सुमित्राबाई, इन्दलसिंह को भूमि बिक्रय की है। स्वतः कहा कि 4.50 एकड़ भूमि बिक्रय की है। वादी और प्रतिवादीगण एक ही परिवार के हैं। पद क्रमांक 9 के अंत में यह स्वीकार किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि खानदानी होने से उस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हक एवं अधिकार है।

18. महिपाल प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1, सोनसिंह प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2 तथा प्रतापसिंह प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 3 द्वारा आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत पेश मुख्य कथनों के वाद आमिर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंपनी विरुद्ध शापुरजी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड ए.आई.आर. 2004 सु.को. 355 में प्रतिपादित सिद्धांत का पालन कर टीप अंकित की गई है इसलिए मुख्य कथन साक्ष्य में ग्राह्य है। अगनू(वा.सा.1), धीरजलाल (वा. सा.3) द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किये गये तथ्यों को प्रतिवादी और उसके साक्षियों ने अपने वादोत्तर में किये गये अभिवचन के अनुसार तैयार कर पेश किये हैं। उन्हीं तथ्यों को वादी के उक्त दोनों साक्षियों ने स्वीकार किया है इसलिए पुनरावृत्ति किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

19. महिपाल प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 3 ने न्यायालय के समक्ष मुख्य कथन के पद क्रमांक 7 में प्रदर्श डी-1 लगायत प्रदर्श डी-10 के दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित कराया है। प्रतिपरीक्षण क्रमांक 8, 9 और 10 में ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं की है जिससे इस साक्षी के मुख्य कथन पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो तथा वादी साक्षी क्रमांक 1 एवं वादी साक्षी क्रमांक 3 द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकृत किये गये तथ्य का खण्डन होता हो इसलिए विस्तृत इबारत लेख किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार सोनसिंह प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2, प्रताप सिंह प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 3 की साक्ष्य में प्रतिपरीक्षण में लेख कथन से अपीलार्थीगण/वादीगण को कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त नहीं होता है।

20. प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-9 के दस्तावेजी साक्ष्य का अध्ययन किया गया। प्रदर्श डी-1 लगायत प्रदर्श डी-7 के दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रदर्श डी-8, 9 और 10 अपंजीकृत दस्तावेज हैं इसलिए सहमतिपत्र जो वास्तव में विभाजन पत्र है साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, किन्तु अगनू (वा.सा.1) तथा धीरजलाल(वा.सा.3) द्वारा प्रतिपरीक्षण में की गई स्वीकृतियों से प्रदर्श पी-10 के तथ्य को प्रमाणित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य न होने पर भी स्वीकारोक्ति के आधार पर तथ्य स्वीकार हैं कि बिराजोबाई के पहले पति सम्पतसिंह से वादीगण पैदा हुए। सम्पतसिंह की मृत्यु के पश्चात वादीगण के दादा फकीर के जीवनकाल में जाति रीतिरिवाज के अनुसार सम्पतसिंह के छोटे भाई अकलू से विवाह किया

और अकलू से भी प्रतिवादीगण तथा एक पुत्री बिजरोबाई का जन्म हुआ। यह भी तथ्य स्वीकृत है कि वाद जमीन मूल पुरुष फकीर की मृत्यु के बाद केवल सम्पतसिंह जीवित होने से उसके नाम दर्ज हुई। इस प्रकार उभयपक्षों के दादा की वाद संपत्ति है।

21. उभयपक्ष द्वारा किये गये विस्तृत तर्कों को विचार में लिया गया।

22. साक्ष्य उपरांत यह स्वीकृत तथ्य है कि उभयपक्ष का मूल पुरुष फकीर था जिसका बड़ा बेटा अकलू तथा छोटा बेटा सम्पतसिंह था। अकलू की पत्नि बिराजोबाई से अकलू को घंसू, महिपाल तथा बजरोबाई उत्पन्न हुए। अकलू की कम आयु में मृत्यु हो जाने पर जाति प्रथा अनुसार सम्पतसिंह ने बिराजोबाई को पत्नि बना लिया। बिराजोबाई को सम्पसिंह से अगनू वादी क्रमांक 1 तथा सुधोबाई वादी क्रमांक 2 पैदा हुए। घंसू, महिपाल, अगनू ने फकीर के नाम की भूमि खसरा क्रमांक 62 रकबा 22.92 एकड़ में आपस में विभाजन कर लिया जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 1 घंसू को 7.91 एकड़, प्रतिवादी क्रमांक 2 महिपाल को 7 एकड़ तथा अगनू वादी को 6 एकड़ भूमि प्राप्त होना लेख है, किन्तु प्रदर्श पी-1 के खसरा नकल के अनुसार अगनू के नाम 1.181 हे0 भूमि अर्थात् 2.95 एकड़ भूमि शेष है।

23. अगनू(वा.सा.1) के द्वारा प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 13 में दी गई साक्ष्य के अनुसार 5.56 एकड़ भूमि विक्रय कर चुका है जिनका योग करने पर अगनू को 8.51 एकड़ भूमि प्राप्त होना दर्शित होता है। प्रदर्श डी-2 के दस्तावेज के अनुसार 3.201 हे0 अर्थात् 7.75 एकड़ भूमि उसके नाम से है। प्रदर्श डी-4 के खसरा नकल प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार महिपाल प्रतिवादी क्रमांक 2 के नाम 2.833 हे0 अर्थात् 7.08 हे0 भूमि दर्ज है। इस प्रकार तीनों की भूमि का योग 23.34 एकड़ होता है, किन्तु अगनू(वा.सा.1) द्वारा विक्रय की गई भूमि के विक्रय विलेख पेश नहीं है, प्रतिपरीक्षण में नामित क्रेताओं के खसरा की नकलें पेश नहीं हैं इसलिए उन्हें विक्रय की गई भूमियों के क्षेत्रफल में 34 या 35 डिसमिल भूमि के क्षेत्रफल का अंतर आ रहा है अथवा अगनू(वा.सा.1) नाम दर्ज भूमि खसरा क्रमांक 62/6 का क्षेत्रफल मौके पर 1.181 हे0 से कम होना संभावित है। अथवा विक्रय की गई भूमि का क्षेत्रफल 5.56 एकड़ न होकर 5.21 या 5.22 एकड़ है।

24. उपलब्ध साक्ष्य और किये गये तर्कों के प्रकाश में वाद पत्र में कंडिका क्रमांक 10 के पश्चात् 10अ, 10ब, 10स द्वारा प्रस्तावित अभिवचन जोड़े जाने पर भी स्वयं वादी द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किये गये तथ्यों के कारण उक्त प्रस्तावित अभिवचन का कोई विधिक लाभ अपीलार्थी क्रमांक 1/वादी क्रमांक 1 को प्राप्त नहीं होगा। प्रस्तावित संशोधन वादपत्र में संमाहित किये जाने योग्य नहीं है। वादी साक्षी क्रमांक 1 अगनू के द्वारा न्यायालय के समक्ष

साक्ष्य में स्वीकृति बाबत कथन वादी पर धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के विधिक प्रभाव के कारण, विबंधन का सिद्धांत प्रभावशील रहने के कारण भी प्रस्तावित संशोधन का कोई विधिक मूल्य नहीं है इसलिए विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 विधिसम्मत रूप से प्रमाणित नहीं हो सकता।

25. अतः पेश आवेदन पत्र को प्रस्तुत अपील में वाद प्रत्यावर्तित कर आवेदन स्वीकार कर, प्रतिवादी को अभिवचन के खंडन का अवसर देकर, अतिरिक्त वादप्रश्न निर्मित कर उभयपक्षों को नवीन निर्मित वादप्रश्नों पर साक्ष्य पेश करने का भरपूर अवसर देकर अनिश्चित अवधि तक वाद को चलाने की अनुमति दिया जाना विधि अनुकूल नहीं है। इसलिए विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 अपीलार्थीगण के पक्ष में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

26. विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 के निराकरण के पश्चात् गुणदोष पर अपील में किये गये तर्कों को सूक्ष्म रूप से विचार में लेने के पश्चात् यह सुस्थापित दशा विद्यमान है कि उभयपक्ष मूल पुरुष फकीर के दो पुत्र अगनू और सम्पतसिंह की पत्नि बिराजोबाई से उत्पन्न संताने हैं। वादग्रस्त संपत्ति का स्वामी फकीर था। फकीर के जीवनकाल में अगनू की मृत्यु हो गई थी। फकीर की मृत्यु के बाद जीवित संतान में सम्पत सिंह होने से पूरी जमीन सम्पतसिंह के नाम आ गई। इसीलिए सम्पतसिंह की मृत्यु के बाद पक्षकारों ने सम्पतसिंह के पुत्र अगनू और भतीजे घंसू और महिपाल को संशोधन पंजी प्रदर्श डी-5 की दस्तावेज में लिखी इवारत अनुसार वे वारसान हैं। साथ ही बिराजो वेबा सम्पतसिंह भी वारसान हैं।

27. वादीगण ने प्रतिवादीगण की बहन बिजरोबाई को पक्षकार नहीं बनाया है किन्तु वादी क्रमांक 1 ने अपनी बहन वादी क्रमांक 2 को पक्षकार बनाया है ताकि वादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के नाम की भूमियों में सुधोबाई के नाम से 1/4 अंश अलग निकाला जा सके। यह अविवादित है कि उभयपक्ष गोंड जाति के हैं अर्थात् वे हिन्दू विधि से शाशित नहीं होते हैं। गोंड जाति में पुत्र संतान होने पर पुरुष मृतक की संपत्ति में उसकी पुत्री या पुत्रियों को चल-अचल संपत्ति पर विरासतन हक नहीं होता है। इसीलिए प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने आवश्यक पक्षकार के असंयोजन का अभिवचन नहीं किया है। वादी क्रमांक 2 को उनकी जाति की प्रथा के अनुसार पिता की मृत्यु पर संपत्ति में कोई हक नहीं है।

28. मधु किश्वर एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार 1996 सु0को0 1864 (तीन न्यायाधिपतिगण की पीठ) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि अनुसूचित जनजाति (ट्राईब्स) पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 अथवा शरीयत कानून में से कोई भी विधि प्रभावशील नहीं है, उनकी अपनी प्रथायें जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति केद्वारा

प्रचलनशील है के अनुसार निराकृत होगा। माता को (महिला को) ट्राईब्स में उत्तराधिकार न होना स्पष्ट रूप से लेख है। उक्त न्यायदृष्टांत के अनुसार इस अपील की अपीलार्थी क्रमांक 2/ वादी क्रमांक 2 के दादा फकीर की वादग्रस्त कृषिभूमि में कोई स्वत्व नहीं है। इसलिए अपीलार्थी क्रमांक 2 की सीमा तक प्रस्तुत अपील प्रारंभ से ही पोषणीय न होने से निरस्त की जाती है।

29. अपीलार्थी क्रमांक 1 अगनू पिता सम्पतसिंह है जिसे फकीर की वादग्रस्त भूमि में 1/2 अंश प्राप्त होना चाहिए था तथा फकीर के पुत्र अकलू का 1/2 अंश उत्तरवादी क्रमांक 1 घंसू तथा उत्तरवादी क्रमांक 2 महिपालसिंह को प्राप्त होना चाहिए था, किन्तु उभयपक्षों के बीच रजामंदी के आधार पर प्रदर्श पी-8 की दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वर्ष 1996 में विभाजन हुआ है। विभाजन का आधार संशोधन क्रमांक 59 द्वारा आदेश दिनांक 04.05.1956 की रजामंदी के अनुसार सम्पतसिंह का नाम दर्ज होने के उपरांत सम्पतसिंह 1961 में फौत होने से दिनांक 05.03.1961 को उभयपक्षों के नाम वादभूमि पर दर्ज हुए हैं। यह दस्तावेज 1954-55 के अधिकार अभिलेख की प्रतिलिपि हैं जिससे स्पष्ट है कि 1961 में सम्पतसिंह की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी क्रमांक 1 व उत्तरवादी क्रमांक 1 व 2 के नाम वादभूमि पर दर्ज हुए हैं जिसके आधार पर 1996 में आपसी विभाजन भी लगभग बराबर बराबर अंश में हो गया है के पश्चात् दिनांक 25.02.2014 को अर्थात् 17 वर्ष से अधिक अवधि बाद वाद पेश किया है जो परिसीमा बाह्य भी है।

30. संपूर्ण विवेचना के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

31. परिणामतः अपील अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

{अ} उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थी क्रमांक 1 वहन करेगा।

{ब} तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

{स} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / —

मेरे बोलने पर टंकित।

सही / —

(माखनलाल झोड़)

(माखनलाल झोड़)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE

(Civil Procedure Code, 1908, Order XLI, Rule 35)

CIVIL APPEAL No. 27 OF 2017

IN THE COURT OF माखनलाल झाड़ द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर

- 1— अगनू पिता सम्पतसिंह उम्र 57 वर्ष, जाति गोंड निवासी ग्राम केवलारी, तहसील. बैहर, जिला बालाघाट
- 2— सुधोबाई पति सम्पतसिंह, उम्र 55 वर्ष, जाति गोंड निवासी ग्राम नयाटोला, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट

— — अपीलार्थीगण

// विरुद्ध //

- 1— घंसू पिता अकलू उम्र 70 वर्ष, जाति गोंड, निवासी ग्राम केवलारी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट
- 2— महिपाल पिता अकलू उम्र 60 वर्ष जाति गोंड, निवासी ग्राम केवलारी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट
- 3— म.प्र. राज्य तर्फे कलेक्टर बालाघाट, तह0 व जिला बालाघाट

— — उत्तरवादीगण

=====

Appeal from the decree of the Court व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर dated the..27-08-2015...dayCivil Suit No. 18A... of 2014.

परिणामतः अपील अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

{अ} उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थी क्रमांक 1 वहन करेगा।

{ब} तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

{स} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।

This appeal coming on for hearing on the 12-10-2017 day of before me in the presence of -----

श्री विजय गुप्ता अधिवक्ता. for the appellant and of

अनुपस्थित for the respondent

अनुपस्थित for the respondent No. 3

It is ordered and decreed that

The costs of this appeal, as detailed below amounting to Rupees 600/- are to be Paid by the appellants.

~~The cost of the original suit be paid by the~~

Given under my hand and the seal of the Court, this.. 06 day of Nov. 2017.

Sd/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट

श्रृंखला न्यायालय बैहर

COSTS OF APPEAL

	Appellant	Amount	Respondent	Amount
1.	Stamp for memorandum of appeal objections or Petitions	600.00	Stamp for Power	-
2.	Stamp for Power	10.00	Stamp for Petition	
3.	Stamp for Exhibits	-	Service of Processes	
4.	Service of Processes	15.00	Pleader's fee on Rs. (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	-
5.	Pleader's Fee on Rs..... (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	60.00		
6.	Application and affidavit	30.00 10.00		
	Total :-	725.00	Total :-	00.00
	(सात सौ पच्चीस रुपये सिर्फ)		(शून्य रुपये सिर्फ)	

Sd/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट

श्रृंखला न्यायालय बैहर